

12.9.13

2. दलील संख्या 9014 दिनांक 27.09.2005 की मूल प्रति  
3. दाखिल खारिज मु० सं० 492 (I) 2009-10 वो दाखिल खारिज मु० सं० 262 (I) 1997-98 के आदेशपत्र की सच्ची प्रति

4. जमाबन्दी सं० 3189 वो 1460 बनाम वादीगण के सरकारी लगान रसीद की मूल प्रति, लगान रसीद सं० जे० बी०/41, 449188 एवं जे० बी०/41, 448223

सभी तथ्यों, प्रमाण, गवाह के ब्यान के अवलोकन से स्पस्ट होता है कि विवादित सम्पति वादीपक्ष की क्रय सम्पति है। जिसका लगान भी वादीपक्ष सरकार को भुगतान कर रहे हैं तथा मौके पर दखलकार भी हैं। मौके पर वादी के दखल की पुष्टी गवाह के ब्यान से होती है। वादी के दावा पर प्रतिवादी के द्वारा भी कोई आपति नहीं किया गया है। अतः प्रमाण दखल के आधार पर वादी का दावा सही एवं सत्य प्रतित होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि मौजा पाण्डरपाला मौजा नं० 04 अंचल वो जिला धनबाद के हाल खाता नं० 602 के हाल खेसरा नं० 244 का रकवा 02 कट्ठा यानी 3.30 डी० अर्थात् 03 डी० जानीव उतर मध्य भाग से वो हाल खेसरा नं० 273 का रकवा 06 कट्ठा यानी 10 डी० वादी के दलील के चौहदी अनुसार के खतियान खाना 02 से दर्ज रैयतों का नाम विलोपित समझा जाय तथा उक्त भुखण्ड का सुधार खाता वादी श्रीमति इन्दु पाण्डेय पति श्री शुभांक चन्द्र पाण्डेय वो शुभांक चन्द्र पाण्डेय पिता स्व० चन्द्र सरोज पाण्डेय जाति ब्राहमण निवासी बोकारो थर्मल (निकट डी० भी० सी० हॉस्पिटल) बोकारो जिला बोकारो के नाम से दर्ज समझा जाय।

इसे समाहरणालयप्रति के मनतब्यखाना में दर्ज समझा जाय। हाल खेसरा 244 के आदेशीत रकवा का खाता सुधार 03 डी० का होगा परन्तु उसकी मान्यता स्वत्व हेतु 03.30 डी० का रहेगा।

शेष खतियान का सभी इन्द्राज यथावत रहेगा। वादी वादपत्र का खर्च स्वयं वहन करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

*[Handwritten signature]*  
12.9.13

राजस्व पदाधिकारी

धनबाद

वाद स्वीकृत

*[Handwritten signature]*  
12.9.13

राजस्व प्रदाधिकारी

धनबाद



*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

Gndu Pandey